


B.D.A No..... 71298
S. L. NO..... 44
DATE..... 16/11/2023



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF:

Original Application No. 181/2023/EZ

(Earlier O.A No. 704/2023/PB)

In re: News item appearing in Dainik Bharat dated 02.11.2023 titled "IN RE NEWS ITEM APPEARING IN DAINIK BHARAT DATED 02 11 2023 TITLED THE GAME OF ILLEGAL SAND MINING INTENSIFIED AFTER ADMINISTRATIVE CURBS"

...Applicant

-Versus-

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD & ORS.


...Respondents

AFFIDAVIT FILED BY DISTRICT MAGISTRATE, BOKARO, JHARKHAND, (i.e. RESPONDENT NO. 2 HEREIN).

I, RAVI KUMAR SINGH, son of AKHILESH KUMAR SINGH, aged about 32 years, by Religion - HINDU, by Occupation - Service under Government of Jharkhand in the office of Distrit Magistrate, Bokaro, Jharkhand, having office at DISTRICT MINING OFFICE, BOKARO, Jharkhand, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That, I am the DISTRICT MINING OFFICER, BOKARO, Jharkhand, and that I am aware of the facts and records in the instant case and have gone through the allegations and contentions in the Original Application as such I am competent to make and affirm the instant Affidavit.


2. That, I am a law-abiding Citizen of India and very much respect the Constitution and Judicial System of India.



3. That in pursuance and in compliance to the order dated 20.02.2025 of the Hon'ble Tribunal in the instant Original Application this Affidavit is being filed by District Magistrate, Bokaro, Jharkhand, Respondent No. 2 herein.
4. That this affidavit is being filed for bringing necessary facts and statements on record for just and proper adjudication of this case.
5. That in compliance to the said order dated 20.02.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, on the instruction of District Magistrate, Bokaro, Jharkhand, the District Mining Officer, Bokaro has provided the details of the name, address and particulars of the alleged violators involved in illegal sand mining, to the Jharkhand State Pollution Control Board vide its Letter No. 257/Khanan/Bokaro dated 25.02.2025.

A photocopy of the said Letter No. 257/Khanan/Bokaro dated 25.02.2025 is annexed herewith and marked as Annexure - A.

6. That, this Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice. It is therefore prayed that Your Lordships, may kindly be pleased to accept the instant Affidavit.
7. That the answering respondent seeks leave to file any further affidavits, if required, as per direction of the Hon'ble Tribunal.
8. I state that the statements contained in paragraphs Nos. 1 to 4 are true to my knowledge, the statements contained in paragraph No. 5 is true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.



VERIFICATION

I, RAVI KOMAR SINGH, son of ARMEESH KUMAR SINGH, aged about 32 years, by Religion - HINDU, by Occupation - Service under Government of Jharkhand in the office of Distrit Magistrate, Bokaro, Jharkhand, having office at DISTRICT MINING OFFICE, BOKARO, Jharkhand has filed this instant Affidavit on this the _____ day of April, 2025.

Date:


Place:

Ravi Kumar Singh

Deponent

Identified by me:

Advocate



SRI / SMT. Ravi Kumar Singh
ON DULY IDENTIFIED BY THE
ADVOCATE SRI / SMT. H.N. Singh
SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE
ME

Anant
16/4/2025
S. D. S. Malhotra
NOTARY PUBLIC
Bokaro (Jharkhand)
Regn. No.-703/16j

DAVIT

Sl. No.
B.D.B.A No. 71292
S. L. NO. 44
DATE 16/4/2025



S. D. K. Mahito
16/4/2025
S. D. K. Mahito
NOTARY PUBLIC
Bokaro (Jharkhand)
Regn. No.-703/16j





जिला खनन कार्यालय, बोकारो।

पत्रांक 257 / खनन

बोकारो

दिनांक 25/02/2025

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
बोकारो।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण,
राँची।


विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पूर्वी जोन बेंच, कोलकाता में विचाराधीन वाद O.A. No. 181/2023/EZ दैनिक भास्कर के दिनांक 02/11/2023 संस्करण में प्रकाशित समाचार "प्रशासनिक अंकुश के बाद और तेज हुआ बालू का खेल" बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 146, राँची, दिनांक 27/01/2025 एवं थाना प्रभारी, गोमिया का पत्र DR-194/25, दिनांक 14/02/2025, थाना प्रभारी, आई0ई0एल0 थाना का ज्ञापांक 40/2025, दिनांक 31/01/2025 एवं प्रभारी, रहावन ओ0पी0 बोकारो के ज्ञापांक 23/2025, दिनांक 22/02/2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से गोमिया अंचल के गोमिया थानान्तर्गत अवैध ढंग से बालू के भण्डारण एवं परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों का नाम, वर्तमान स्थायी पता की मांग की गई थी, जिसके आलोक में विषयांकित मामले से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 120/खनन, दिनांक 30/01/2025 द्वारा थाना प्रभारी, गोमिया/आई0ई0एल0/जगेश्वर विहार/राहावन ओ0पी0/महुआटॉड़, महुआटॉड़ को पत्र निर्गत किया गया था, जिसके बावत थाना प्रभारी, महुआटॉड़ के ज्ञापांक 73/2025, दिनांक 14/02/2025, थाना प्रभारी, गोमिया का पत्र DR-194/25, दिनांक 14/02/2025, थाना प्रभारी, आई0ई0एल0 थाना का ज्ञापांक 40/2025, दिनांक 31/01/2025 तथा प्रभारी, रहावन ओ0पी0 बोकारो के ज्ञापांक 23/2025, दिनांक 22/02/2025 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी छाया प्रति एवं इस कार्यालय द्वारा वसूली की गई राशि की विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।




विश्वासभाजन

R. S. Jaiswal
25/02/25
जिला खनन पदाधिकारी,
बोकारो।

दिनांक 25/02/2025

ज्ञापांक 257 / खनन् बोकारो
प्रतिलिपि :- उपायुक्त, बोकारो को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

aw
25/2/25
जिला खनन् पदाधिकारी,
बोकारो




जिला खनन कार्यालय, बोकारो।

गोमिया अंचल अन्तर्गत अवैध बालू के बावत की गई कार्रवाई की विवरणी।

क्र0	खनिज	मात्रा	वाहन	FIR	वसूली	भुगतान की विवरणी	अभियुक्त/वाहन मालिक/वाहन चालक का नाम, पता एवं वाहन संख्या	अभ्युक्ति	नोट
01	बालू	100 घनफीट	01	1	00	00	खानवाज अंसारी, पे0-कमरुल अंसारी, सा0-तुपकाडीह, जिला-बोकारो।	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 677/रा0, दिनांक 27/07/2022 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।	टंकण भूलवश प्राविष्टि कर दी गई थी।
02		70 घनफीट	01	0	10,000		मालिक सह चालक सुलेन्द्र मांडी, पे0-प्रसादी राम मांडी, साकिन-सियारी थाना, गोमिया, जिला-बोकारो।	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 129/रा0, दिनांक 03/02/2023 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।	
03		100 घनफीट	01	1	00		(1) सरोज सोरेन पति महादेव सोरेन, (2) प्रा0अभि0 महादेव सोरेन (वाहन चालक) पिता करमचंद सोरेन, दोनों सा0-आईयर, थाना-लालपनिया ओ0पी0 (महुआटंड), जिला-बोकारो।	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 557/रा0, दिनांक 26/04/2023 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर आई0ई0एल0 गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।	टंकण भूलवश दोबारा प्राविष्टि कर दी गई थी।
04		100 घनफीट	01	1	00			अंचल अधिकारी, गोमिया का ज्ञापांक 277, दिनांक 20/02/23	
05		100 घनफीट	01	01	00			अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक	टंकण भूलवश प्राविष्टि कर दी गई थी।
06		70	01	01	00				टंकण भूलवश



	घनफ़ीट							
07	100 घनफ़ीट	01	01	00		मालिक सह चालक ईश्वर चंद हांसदा, पिता महादेव हांसदा, सा0-आई0ई0एल0 कॉलोनी, क्वार्टर नं0-E-23/2, थाना-आई0ई0एल0, जिला-बोकारो। टैक्टर संख्या-JH	427/रा0, दिनांक 25/05/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि 03 टन बालू लदे 1 टैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 564/रा0, दिनांक 29/04/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि 100 घनफ़ीट बालू लदे 1 टैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका थाना काण्ड संख्या-38/23, दिनांक 29/04/2023 है।	प्रविष्टि कर दी गई थी।
08	100 घनफ़ीट	01	01	00		मालिक सह चालक सुधाकर महतो, पिता स्व0 छट्टु महतो, सा0-रहावन, थाना-रहावन ओ0पी0, जिला-बोकारो।	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 912, दिनांक 25/07/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि बालू लदे एक टैक्टर को जप्त कर रहावन ओ0पी0 में प्राथमिकी दर्ज की गई है।	
09	100 घनफ़ीट	01	01	00		(1) टैक्टर मालिक रितु साव, पे0-मंगर साव, सा0-बस्तीटोला, बड़कीपुन्नु (2) टैक्टर चालक शंकर किस्कु, पिता बाबूराम मांडी, सा0-पुटकाडोह, दोनो-थाना-महुआटांड, जिला-बोकारो। टैक्टर नैक्स स्वराज, मॉडल नं0-735 एफ0ई0, चेचिस नं0-MBNAM48AFMTTF29757 इंजन नं0-C11354/ME006265	खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 29/08/23 को 100 घनफ़ीट अवैध बालू लदे 01 टैक्टर को जप्त कर महुआटांड थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।	



सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी महोदय,
बोकारो।

प्रसंग:- भवदीय कार्यालय का पत्रांक- 120/खनन दि0- 30.01.2025 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्वद, राँची का कार्यालय ज्ञापांक- 146 दि0- 27.01.25।

विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, पूर्वीजौन बेंच कोलकता में विचाराधीन वाद O.A NO-
181/2023/EZ दैनिक भास्कर के दिनांक 02.11.2023 संस्करण में प्रकाशित समाचार
प्रशासनिक अंकुश के बाद और तेज हुआ बालु का खेल बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामलें में
अवैध उत्खन्न/परिवहन/भण्डारण में संलिप्त अभियुक्तों के नाम/पता का विस्तृत सूचना उपलब्ध
कराने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि माननीय नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यून, पूर्वीजौन बेंच कोलकता में विचाराधीन वाद O.A NO- 181/2023/EZ दैनिक भास्कर के दिनांक
02.11.2023 संस्करण में प्रकाशित समाचार प्रशासनिक अंकुश के बाद और तेज हुआ बालु का खेल बनाम
झारखण्ड राज्य व अन्य मामलें में अवैध उत्खन्न/परिवहन/भण्डारण में संलिप्त सूची में अंकित कांडों के अभियुक्तों के
नाम/पता का विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के से संबंध विवरणी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मांगी गई वांछित
विवरणी गोमिया थाना से निम्नवत है -

क्र.सं.	खनिज की मात्रा	वाहन	कांड सं०, तिथि एवं धारा	अभियुक्त का नाम / पता	अभियुक्ति
01	100 घनफीट	01	गोमिया थाना कांड सं०- 86/22 दि०- 27.07.22 धारा- 414 भा०द०वि० एवं 21 M.M.D.R Act.	खानवाज अंसारी पे०- कमरूल अंसारी सा०- तुपकाडीह जिला- बोकारो	अनुसंधान अन्तर्गत
02	100 घनफीट	01	गोमिया थाना कांड सं०- 13/23 दि०- 03.02.23 धारा- 414 भा०द०वि० एवं 21 M.M.D.R Act.	मालिक सह चालक सुलेन्द्र मांझी पे० प्रसादी राम मांझी साकिन- सियारी थाना गोमिया जिला बोकारो	आरोप पत्र सं०- 24/24 दि०- 27.02.24
03	100 घनफीट	01	गोमिया थाना कांड सं०- 38/23 दि०- 29.04.23 धारा- 414 भा०द०वि० एवं 21 M.M.D.R Act.	मालिक सह चालक ईश्वर चंद हांसदा पिता महादेव हांसदा सा० आई०ई०एल० कॉलोनी क्वार्टर नं० - E-23/2 थाना- आई०ई०एल० जिला- बोकारो	आरोप पत्र सं०- 60/24 दि०- 28.07.24

अतः श्रीमान् को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

DR-194/25
14/08/25



विधासभाजन
14.8.25
थाना प्रभारी
गोमिया थाना, बोकारो।

ज्ञापांक...40.....2025

रख निर
9/11/2025

आई0ई0एल0 थाना
दिनांक 31/01/2025

सेवा में,

जिला खनन् पदाधिकारी महोदय,
बोकारो।

प्रसंग:- भवदीय का पत्रांक - 120/खनन् दिनांक - 30.01.2025

विषय:- अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन में संलिप्त प्राथमिकी अभियुक्तों का नाम / पता भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि भवदीय का पत्रांक - 120/खनन् दिनांक - 30.01.2025 के माध्यम से आई0ई0एल0 थाना कांड संख्या - 05/23 दिनांक - 26.04.2023 धारा - 379/411/34 भा0द0वि0 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन अधिनियम - 1957) एवं 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण) नियम - 2017 के अन्तर्गत बालू के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों की विवरणी की मांग की गई है। इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों 1. सरोज सोरेन पति महादेव सोरेन 2. प्रा0अभि0 महादेव सोरेन (वाहन चालक) पिता करमचंद सोरेन दोनों सा0 - आईयर, थाना- ललपनिया ओ0पी0 (महुआटांड), जिला- बोकारो के विरुद्ध आई0ई0एल0 थाना आरोप पत्र संख्या - 26/24 दिनांक -17.10.2024 समर्पित किया गया है। इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों की विवरणी निम्न प्रकार है -

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ।



विश्वासभाजन

Rouals
थाना-प्रभारी 31/01/2025

आई0ई0एल0 थाना
बोकारो।



ज्ञापांक-23 / 2025

रहावन ओपीओ कार्यालय, बोकारो।

दिनांक-22 / 02 / 2025

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी महोदय,
बोकारो।

प्रसंग:- भवदीय का कार्यालय पत्रांक-120/खनन, दिनांक-30.01.2025 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्सद, रांची का कार्यालय ज्ञापांक-146, दिनांक-27.01.2025


विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिव्यून, पूर्वी जोन कोलकता में विचार विचाराधीन वाद O.A No. 181/2023/EZ दैनिक भास्कर के दिनांक-02.11.2023 संस्करण में प्रकाशित समाचार प्रशासहनिक अंकुश के बाद और तेज हुआ बालू का खेल बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिव्यून, पूर्वी जोन कोलकता में विचार विचाराधीन वाद O.A No. 181/2023/EZ दैनिक भास्कर के दिनांक-02.11.2023 संस्करण में प्रकाशित समाचार प्रशासहनिक अंकुश के बाद और तेज हुआ बालू का खेल बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के नाम/पता का विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में विवरणी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मांगी गई वांछित विवरणी रहावन ओपीओ से निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	खनिज की मात्रा	वाहन	कांड सं० तिथि एवं धारा	अभि० का नाम/पता	अभियुक्ति
01	100 घनफीट	01	जगेश्वर विहार (रहावन ओपीओ) था०कां० सं० 15/23, दि० 19.07.23, धारा-414 भा०द०वि०, 21 एवं 13 झारखण्ड खनिज अवैध खनन पर रोक परिहवन और भंडारण) नियम 2017	मलिक सह चालक सुधाकर महतो, उम्र करीब 33 वर्ष, पिता स्व० छट्टु महतो, सा०-रहावन, थाना-रहावन ओपीओ, जिला-बोकारो।	आरोप पत्र सं० 22/24, दि० 16.07.24

अतः श्रीमान् को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



उ

विश्वासभाजन

22.02.2025

प्रभारी

रहावन ओपीओ, बोकारो।

ज्ञापांक.....73...../2025

कार्यालय महुआटांड थाना, बोकारो
दिनांक- 14/02/2025

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी,
बोकारो।


प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक-96/ खनन, दिनांक-27.01.2025 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यद, राँची के पत्रांक-124, दिनांक-22.01.2025

विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पूर्वी जोन बेंच, कोलकाता में विचाराधीन वाद O.A. No.84/2024/EZ(Earlier O.A. No. 319/2024/PB) News Wing के दिनांक-19.12.2023 को संस्करण में प्रकाशित समाचार " बेरमो के महुआटांड में अवैध बालू के खेल में सैकड़ों ट्रैक्टर से आम लोगों को परेशान" बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सादर पूर्वक सूचित करते हुए कहना है कि "बेरमो के महुआटांड थाना क्षेत्र में अवैध बालू के खेल में सैकड़ों ट्रैक्टर से आम लोगों को परेशान" बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य मामले में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कांड सं०/ तिथि / धारा	अभियुक्त का नाम पता	ट्रैक्टर रजि०संख्या / इंजन नंबर/ चेचिस नंबर	आरोप पत्र/ अंतिम प्रतिवेदन	अभ्युक्ति
1.	43/2020 दि०- 07. 10.2020 धारा 379/411 भा०द०वि० एवं 21 खान एवं खनिज अधि०	अप्राथ० अभि० दुलारचन्द साव पिता परमेश्वर साव सा०- गांगपुर थाना-महुआटांड जिला- बोकारो	रजि० नं०- WB1/B2506, चेचिस नं०- QWTB 30600103889	आरोप पत्र सं०- 54/2021 दिनांक-10.12.2021	
2.	29/2023 दि०- 29.08.2023 धारा 414 भा०द०वि० एवं 21 खान एवं खनिज अधि० तथा 54 झालघु खनिज सन्तुदान नियमावली- 2004, 13 झारखण्ड खनिज	1-ट्रैक्टर मालिक रितु साव पे०-मंगर साव सा०- बस्तीटोला, बडकीपुनू 2- ट्रैक्टर वालक शंकर किस्कु पिता बाबूराम मांझी सा०-पुटकाडीह दोनों थाना- महुआटांड जिला-बोकारो।	ट्रैक्टर मैक्स स्वराज, मोडल नं०- 735 एफ०ई०, चेचिस नं०- MBNAJ48AFMTF 29757 इंजन नं०- CJ 1354/ME006265	आरोप पत्र सं०- 11/2024 दिनांक-22.04.2024	
3	43/2023 दि०- 15.12.2023 धारा 341/ 323/353/ 379/ 120वी०/34 भा०द०वि० एवं 21 खान एवं खनिज अधि० तथा 64 झालघु खनिज सन्तुदान नियमावली- 2004, 13 झारखण्ड खनिज	1-सुभाष कुमार सिंह पे० जयनारायण सिंह सा०-बडकी पोना पारडीह थाना रजरप्पा जिला-रामगढ 2-हनीफ अंसारी पिता रथ० लियाकत अंसारी सा०-हैसापोडा, थाना गोला जिला-रामगढ 3-रामचरण गुप्त पिता रथ० विरसा मांझी सा०-हैसापोडा थाना-गोला जिला-रामगढ एवं 4-अजय कुमार उर्फ अजय गुप्ता पिता रथ० महावीर गुप्ता सा०-पुटकाडीह थाना-महुआटांड जिला- बोकारो	1.ट्रैक्टर चेचिस नं०-MBNABAEXKMRD 06717 इंजन नं०- RMD2EAN2715, रजि०नं०- JH02BG 8371 2- रजि०नं०- JH01 CQ 7050, चेचिस नं०-1VY5042DCHA001911 इंजन नं०- PY3029D418956 3.रजि०नं०- JH05DB8721, चेचिस नं०-T0535531170CK इंजन	आरोप पत्र सं०- 56/2024 दिनांक-06.11.2024	



			नं- E3620733	
4	21/2024 दि०- 03. 05.2024 धारा 414 भादावे एवं 21 खान एवं खनिज अधि० तथा 54 झा०लघु खनिज समुनुदान नियमावली- 2004, 13 झारखण्ड खनिज	जनक साव पिता चेतलाल साव सा०-चितरपुर थाना- रजरप्पा जिला- रामगढ़	ड्रेक्टर JH06N6203, नं०-1VY5036DPLA010592 इंजन PY3029D575229	रजि०नं०- चेचिस नं०- आरोप पत्र सं०- 37/2024 दिनांक-26.08.2024

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।



विश्वासभाजन,
थाना प्रमारी
महुआटांड (बोकारो)।

